पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2752

==========

1.1. दिवाकर सिंह स्वर्गीय महावीर सिंह के पुत्र, निवासी नवरतन हाट, राज नगर, थाना- के. हाट, जिला- पूर्णिया, वर्तमान में फ्लैट सं. 402, टावर बी- 6, एस.आर.एस. रॉयल हिल्स, एस.आर.एस. सिटी, सेक्टर- 87, थाना- खेरी कलां, पी.ओ.- भास्कोला, जिला- फरीदाबाद, हरियाणा- 121002

1.2. चंदन सिंह,स्वर्गीय महावीर सिंह के पुत्र निवासी नवरतन हाट, राज नगर, थाना- के. हाट, जिला- पूर्णिया, वर्तमान में फ्लैट सं. 402, टावर बी- 6, एस.आर.एस. रॉयल हिल्स, एस.आर.एस. सिटी, सेक्टर- 87, थाना- खेरी कलां, पी.ओ.- भास्कोला, जिला- फरीदाबाद, हरियाणा- 121002

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. प्रभारी निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी सह सिविल सर्जन, पूर्णिया।

4. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी सह पूछताछ अधिकारी, पूर्णिया।

5. अनुज्ञप्ति अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पूर्णिया।

.....उत्तरदातागण

सी.सी.ए. नियम् 2005 - नियम 15 तथा 16

बिहार पेशन नियम्, 1950 - नियम् 43 (ब)

दोषी कर्मचारी सदर अस्पताल पूर्णया के अधीक्षक के कार्यालय में लिपिक के रुप में तैनात था। उसे 21.10.2014 को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसे 21.10.2014 को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद उसे 31.01.2015 को सेवानिवृत कर दिया गया। उसे 04.03.2015 को जमानत प्रदान की गयी। उसके बाद 24.06.2015 को उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उसके बाद विभागीय कार्यवाही में उसे दोषी पाया गया जिसके परिणामस्वरुप उसका सारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी को रोका गया। कर्मचारी ने इस निर्णय को दरकिनार करने के लिये अपील किया, लेकिन अपील को खारिज कर दिया गया, अतः यह रिट याचिका लाया गया।

निर्णित किया गया कि **राज्य सरकार ही सक्षम प्राधिकारी है जो कर्मचारी के सेवानिवृति के बाद उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय ले सकती है, अन्य कोई नहीं।** चूँकि विभागीय कार्यवाही राज्य कर्मचारी के विरुद्ध सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी पूर्णिया द्वारा आदेशित किया गया, जो सी.सी.ए. नियम 2005 के अनुरुप नहीं है, इसलिये गलत है जिसे निरस्त किया गया। राज्य प्रत्यर्थियों को यह आदेश दिया गया कि कर्मचारी का सभी बकाया छह महीनें के भीतर भुगतान सुनिश्चित कर दें। ***शंभू शरण बनाम बिहार राज्य*** **2000(1) पी.एल.जे.आर. 665** को माना गया। [पारा 3,5,6,9 और 11]

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2752

==========

1.1. दिवाकर सिंह स्वर्गीय महावीर सिंह के पुत्र, निवासी नवरतन हाट, राज नगर, थाना -के. हाट, जिला- पूर्णिया, वर्तमान में फ्लैट सं. 402, टावर बी- 6, एस.आर.एस. रॉयल हिल्स, एस.आर.एस. सिटी, सेक्टर- 87, थाना- खेरी कलां, पी.ओ.- भास्कोला, जिला- फरीदाबाद, हरियाणा- 121002

1.2. चंदन सिंह,स्वर्गीय महावीर सिंह के पुत्र निवासी नवरतन हाट, राज नगर, थाना- के. हाट, जिला- पूर्णिया, वर्तमान में फ्लैट सं. 402, टावर बी- 6, एस.आर.एस. रॉयल हिल्स, एस.आर.एस. सिटी, सेक्टर- 87, थाना- खेरी कलां, पी.ओ.- भास्कोला, जिला- फरीदाबाद, हरियाणा- 121002

.....अपीलकर्तागण

बनाम

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. प्रभारी निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।

3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी सह सिविल सर्जन, पूर्णिया।

4. अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी सह पूछताछ अधिकारी, पूर्णिया।

5. अनुज्ञप्ति अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पूर्णिया।

.....उत्तरदातागण

उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं के लिएः श्री रंजीत कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिएः श्री एस. डी. यादव, ए.ए.जी-9

श्री अतुल कुमार वर्मा, ए.ए.जी-9 के ए.सी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. अंशुमान

मौखिक न्यायादेश/निर्णय

तिथि: 06-02-2024

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और राज्य के विद्वान वकील को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई हैः

i. जॉच अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुर्णिया द्वारा समर्पित पत्र संख्या 233 दिनांकित 4.8.2016 में निहित जाँच रिपोर्ट को निरस्त करने जिसके तहत दुराचार के आरोप साबित हुए हैं।

ii. सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित ज्ञापन संख्या 2027 दिनांक 3-8-2017 में निहित सजा के आदेश को निरस्त करने के लिए, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के पिता की 100% पेंशन और ग्रेच्युटी को स्थायी रूप से रोक दिया गया है और आगे याचिकाकर्ताओं के पिता को केवल उस अवधि के लिए निर्वाह भत्ते का हकदार पाया गया है जो निलंबन के तहत रही है।

iii. याचिकाकर्ता आगे प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्त सजा को दरकिनार करने के बाद ब्याज और वैधानिक ब्याज के साथ ग्रेच्युटी के साथ उनकी 100% पेंशन का तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया जाए।

iv. किसी अन्य राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को हकदार माना जा सकता है।

v. निदेशक-प्रमुख (रोग नियंत्रण) स्वास्थ्य सेवा, बिहार, पटना द्वारा पारित ज्ञापन सं.1295 (4) दिनांक 25.10.2018 में निहित तर्कपूर्ण आदेश को दरकिनार करने के लिए, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं के पिता द्वारा दायर सेवा अपील को खारिज कर दिया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने समर्पित किया कि याचिकाकर्ताओं के पिता को सदर अस्पताल, पूर्णिया के अधीक्षक के कार्यालय में क्लर्क के रूप में तैनात किया गया था, जो अनुज्ञप्ति अधिकारी, सदर अस्पताल, पूर्णिया के कार्यालय में लिपिक के अतिरिक्त प्रभार में थे। वकील समर्पित करते है कि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2014 का एक सतर्कता मामला संख्या 076 दर्ज किया गया था और याचिकाकर्ताओं के पिता को 21.10.2014 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें 04.03.2015 को जमानत दी गई। वकील समर्पित करते है कि जेल में अपनी हिरासत के दौरान वह 31.01.2015 को सेवानिवृत्त हुआ, जब वह बाहर आया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है और इस संबंध में सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मेमो सं.1686 दिनांक 02.06.2015 के माध्यम से आदेश के रूप में एक पत्र जारी किया गया है। वकील समर्पित करते है कि उक्त पत्र से यह पता चलता है कि निदेशक-प्रमुख स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना ने विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए पत्र सं.559 (4) दिनांक 22.05.2015 के माध्यम से आदेश दिया है और उससे पहले बिहार पेंशन नियम,

1950 के नियम 43 (बी) के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रधान सचिव को अलग-अलग पत्र भेजे गए थे, क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है। याचिकाकर्ताओं के वकील आगे समर्पित करते हैं कि इस माननीय न्यायालय ने दिनांक 8.12.2023 के आदेश के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही की मूल प्रति प्रस्तुत प्रस्तुत का निर्देश दिया है। अभिलेख की मूल प्रति उपलब्ध है और वह समर्पित करते है कि विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किया गया हैं , अर्थात 25.05.2015 तारीख को और इसलिए, बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) का सही अनुपालन एक आवश्यक घटक है जिसके तहत राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन यहां वर्तमान मामले में निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है और इसलिए, विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए उक्त आदेश कानून की नजर में गलत और इसलिए, अन्य सभी बाद के निर्णय, यानी जांच रिपोर्ट, अनुशासनात्मक प्राधिकरण के साथ-साथ अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित मूल आदेश भी गैर-कानूनी हैं और बनाए रखने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका इस कारण से विचारणीय नहीं है कि याचिकाकर्ताओं के पिता को एक सतर्कता मामले में पकड़ा गया था और उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसके आधार पर उनके खिलाफ सतर्कता मामला शुरू किया गया था और उन्हें सतर्कता दल द्वारा 20.10.2014 को गिरफ्तार किया गया था। राज्य के विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के पिता को पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के ठीक एक दिन बाद 21.10.2014 को निलंबित कर दिया गया था और विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिनांक 02.06.2015 के अनुलग्नक-3 के माध्यम से जारी किया गया है। निलंबन आदेश को सकारात्मक रूप से समझा जा सकता है, क्योंकि प्राधिकरण ने विभागीय कार्यवाही जारी रखने का निर्णय लिया है और केवल इसी कारण से यह निलंबन आदेश सी. सी. ए. नियम,

2005 के नियम 9 के तहत जारी किया गया है। वकील ने आगे **शंभू शरण बनाम बिहार राज्य 2000 में रिपोर्ट किया गया (1) पी.एल.जे.आर. 665 पूर्ण पीठ**, के मामले में इस माननीय न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया जिसमें माननीय पूर्ण पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ उसकी सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति से पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, तो यह जारी रहेगी और बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) के तहत किसी भी आदेश की आवश्यकता नहीं है। वकील प्रस्तुत करते है कि चूंकि निलंबन आदेश उनकी सेवानिवृत्ति से पहले जारी किया गया है, इसलिए यह माना जा सकता है कि विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय राज्य द्वारा लिया गया है। वकील आगे प्रस्तुत करते है कि सी. सी. ए. नियम, 2005 के नियम 15 और 16 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो प्राधिकरण या अनुशासनात्मक प्राधिकरण या उच्च प्राधिकरण की नियुक्ति कर रहा है, वह निर्णय लेने/मामला स्थापित करने के लिए सक्षम है और इसलिए, स्वास्थ्य सेवाओं में प्रमुख निदेशक वह प्राधिकरण है जो सी. सी. ए. नियम, 2005 के नियम 15 और 16 के दायरे में आता है और बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) के तहत निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए, इस आधार पर वर्तमान रिट याचिका की अनुमति नहीं दी जा सकती है और जांच रिपोर्ट, अनुशासनात्मक आदेश और अपीलीय आदेश पारित किए गए हैं जो पूरी तरह से कानून के अनुसार हैं और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों द्वारा की गई प्रस्तुतियों के आलोक में और अभिलेख पर दस्तावेजों के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही की मूल प्रति, जिसे राज्य के वकील द्वारा इस न्यायालय के निर्देश पर प्रस्तुत किया गया है, के अवलोकन पर,अभिलेख से जो कुछ बातें स्पष्ट हैं, वे इस प्रकार हैंः

(i) याचिकाकर्ता को 20.10.2014 को गिरफ्तार किया गया है,

(ii) उसे 21.10.2014 को निलंबित कर दिया गया था,

(iii) वह 31.01.2015 को सेवानिवृत्त हुए,

(iv) 04.03.2015 को जमानत दी गई है।

(v) विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय ज्ञापन सं.1686 दिनांक 02.06.2015 के माध्यम से जारी किया गया है जो याचिकाकर्ता को 24.06.2015 को दिया गया है।

6. इस न्यायालय को यह सूचित करता है कि सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति के बाद सी. सी. ए. नियम, 2005 की भूमिका समाप्त हो जाती थी और इसके लिए केवल दो अपवाद हैं;

(i) प्राधिकरण ने उनकी सेवानिवृति से पहले ही अपने विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय ले लिया है जैसा कि इस माननीय न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा तय की गई सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति में **शंभू शरण बनाम बिहार राज्य के मामले में 2000 (1) पी. एल. जे. आर. 665** में रिपोर्ट दी।

(ii) बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) के तहत, विभागीय कार्यवाही शुरू करने के लिए कार्रवाई की तारीख से चार साल के भीतर केवल राज्य सरकार द्वारा 13.05.2020 से पहले और 12.05.2020 के बाद, प्राधिकारी की नियुक्ति द्वारा लिए गए निर्णय पर ही कार्यवाही जारी रह सकती है।

7. इसलिए, राज्य द्वारा दिया गया तर्क कि प्राधिकरण/अनुशासनात्मक प्राधिकरण या किसी उच्च प्राधिकरण की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय कार्यवाही जारी रखने के उनके निर्णय कानून की सही स्थिति नहीं होगी। सेवानिवृत्ति से पहले, वे कर सकते हैं लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद यह राज्य सरकार है जो सक्षम प्राधिकारी है और यह पद 12.05.2020 तक जारी रहा। चूँकि 13.05.2020 को, कानून बदल गया है और राज्य

सरकार को 'नियुक्ति प्राधिकरण' शब्द से बदल दिया गया है। इस कारण से, राज्य सरकार की दलीलें इस न्यायालय को स्वीकार्य नहीं हैं।

8. मूल अभिलेख के अवलोकन से, यह इस न्यायालय को पता चलता है कि आदेश सं. 559 (4) दिनांक 25.05.2015 राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए, बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही शुरू करने का उक्त निर्णय सही नहीं है। राज्य द्वारा दिए गए इस तर्क के आलोक में कि निलंबन आदेश जारी करने के आधार पर विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। उनके अनुसार, जिसका वर्णन निलंबन आदेश में ही किया गया है। यदि यह सही स्थिति है, तो प्राधिकरण के लिए बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) के तहत आदेश पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका अर्थ है कि राज्य अपनी कार्रवाई से स्वयं स्वीकार करता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के पिता सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और इसलिए, बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) के तहत निर्णय लेना आवश्यक है।

9. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, इस न्यायालय का दृढ़ विचार है कि ज्ञापन सं.1686 दिनांक 02.06.2015 (अनुलग्नक-3) में निहित आदेश कानून के अनुसार पारित नहीं किया गया है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। परिणामस्वरूप, उक्त ज्ञापन के आधार पर परिणामी प्रभाव, अर्थात, पूछताछ अधिकारी-सह-अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पूर्णिया द्वारा प्रस्तुत पत्र सं.233 दिनांक 04.08.2016 में निहित जांच रिपोर्ट, ज्ञापन सं.2027 दिनांक 03.08.2017 में निहित अनुशासनात्मक आदेश, सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी पूर्णिया, द्वारा 2018 पारित किया गया और मुख्य निदेशक (रोग नियंत्रण) स्वास्थ्य सेवा, बिहार, पटना द्वारा पारित ज्ञापन सं. 1295 (4) दिनांक 25.10.2018 में निहित अपीलीय आदेश को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील समर्पित करते हैं कि कथित आरोपी की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पहले ही मृत्यु हो चुकी है और इसलिए, उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को पहले ही प्रतिस्थापित किया जा चुका है।

11. राज्य-प्रत्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिस्थापित कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अभ्यावेदन दाखिल करने पर, राज्य कानून के अनुसार उनके सभी बकाया की गणना करेगा और इस आदेश की प्रति की प्राप्ति/प्रस्तुत करने की तारीख से छह महीने के भीतर भुगतान सुनिश्चित करेगा।

(डॉ. अंशुमन,न्यायमूर्ति)

एमकेआर./-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।